



2026:AHC:128993

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 20058/2026

रवि सरोज

.....आवेदनकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा ग्रह विभाग

.....विपक्षी पक्ष

आवेदनकर्ता की ओर से अधिवक्ता : विनीत सिंह परमार

विपक्ष पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या – 70

माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में प्रस्तुत पूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विनीत सिंह परमार के होल्डिंग ब्रीफ अधिवक्ता श्री त्रिलोक नाथ दुबे तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. यह जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से वाद अपराध संख्या 162/2018, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411, 413 तथा 414, थाना नौबस्ता, जनपद कानपुर नगर में विचारण लंबित रहने की अवधि के दौरान आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2018 के आदेश के माध्यम से जमानत प्रदान की गई थी। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा वाद निर्णय हेतु नियत किया गया, किन्तु आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध दिनांक 06.02.2021 को गैर-जमानती वारंट निर्गत किया गया। आवेदक के विरुद्ध पंजीकृत पाँच आपराधिक प्रकरणों के इतिहास का स्पष्टीकरण दिनांक 24.06.2026 के अनुपूरक शपथ-पत्र में प्रस्तुत किया गया है। उनमें से चार प्रकरणों में वह जमानत पर है तथा एक प्रकरण में उसे समन प्राप्त नहीं हुआ। जमानत आदेशों की प्रतिलिपियाँ अनुपूरक शपथ-पत्र के पृष्ठ संख्या 5 से 12 तक संलग्न की गई हैं। आवेदक दिनांक 17.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत पर मुक्त किया जाता है, तो वह जमानत द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का किसी प्रकार दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि सह-अभियुक्त को पूर्व में ही जमानत पर मुक्त किया जा चुका है।

6. अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों की समग्रता, अभियोग की प्रकृति तथा उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष के संबंध में कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि यह जमानत प्रदान किए जाने का उपयुक्त प्रकरण है। अतः वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध में सम्मिलित आवेदक- **रवि सरोज** को उसके द्वारा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो सक्षम प्रतिभुओं के बंधपत्र प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त किया जाए:-

(i) आवेदक वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों का न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए, तथा न ही साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें भयभीत अथवा आतंकित करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा— (i) वाद के प्रारम्भ के समय, (ii) आरोप विरचित किए जाने के समय तथा (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत उसके कथन के अभिलेखन के समय।

(iv) आवेदक इस आशय का एक अभिवचन प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, उस तिथि पर वह स्थगन की कोई प्रार्थना प्रस्तुत नहीं करेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाना जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई प्रत्येक टिप्पणी केवल इस जमानत प्रार्थना-पत्र के निर्णय तक ही सीमित है तथा इसे किसी भी प्रकार से वाद के गुण-दोष पर व्यक्त मत नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित रहते हुए, विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर पूर्णतः स्वतंत्र रूप से अपना निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

(न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी)

आदेश दिनांक :- 24/06/2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।